प्र.सं. 19/2021 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी
सोहन सिंह आदि बनाम इकबाल सिंह वगैरह
जीसीएमएस : 2021/414

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
21.09.2021	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण के पुनर्निरीक्षण याचिका वाद सं. 84/2018 सोहन सिंह आदि बनाम इकबाल सिंह आदि अन्तर्गत 53,88,92ए आरटीए में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2021 के संदर्भ में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजीनामा हो जाने के पश्चात मुताबिक राजीनामा खाता विभाजन किया जाकर भूमि का खातेदार घोषित किया था परन्तु भूमि में समस्त काश्तकारों का हिस्सा बैंक के राहिन दर्ज था। इसलिए न्यायालय ने अपने निर्णय की पालना भूमि के रहिनमुक्त हो जाने के बाद ही की जावे इस आशय का नोट डिक्री एवं निर्णय में दर्ज किया। कोरोना काल एवं वर्तमान परिस्थितियों में अकाल की स्थिति होने के कारण सभी पक्षकारान अपना बैंक ऋण अदा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए निर्णय की पालना नहीं हो पा रही हैं। बैंक ऋण कृषि भूमि पर था। तथा उक्त कृषि भूमि पक्षकारों के मध्य विभाजित हुई हैं। इसलिए कृषि ऋण बाबत रहन जो दर्ज हुआ है वह भी हम काश्तकारों के नाम दर्ज रहेगा। न्यायालय के निणर्य एवं डिक्री दिनांक 31.03.2021 में वर्णित नोट हटाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थीगण सं. 1–2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि याचिका वर्णित नोट हटाया जाता हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं हैं। अप्रार्थीगण की भूमि राहिन नहीं हैं। इसलिए उनके हिस्से की राहिन मुक्त भूमि के हिस्से के इन्तकाल दर्ज करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में न्यायलय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2021 से "चूंकि भूमि बैंक के रहन दर्ज है, अतः निर्णय की पालना भूमि के रहन मुक्त दर्ज होने पर ही की जावे।" को हटाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं मूल रिकार्ड पत्रावली प्र.सं. 84/2018 नि.दि. 31.03.2021 का अवलोकन किया। उक्त वाद 84/2018 में भूमि बैंक के राहिन दर्ज होने बाद भी बैंक आवश्यक पक्षकार होने पर भी बैंक को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था। प्रकरण में पक्षकारान के राजीनामा आधार पर आवश्यक पक्षकार बैंक को सुने बिना दिनांक 31.03.2021 को न्यायलय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित कर बैंक के हितों को देखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री में "चूंकि भूमि बैंक के रहन दर्ज है, अतः निर्णय की पालना भूमि के रहन मुक्त दर्ज होने पर ही की जावे" का नोट अंकित किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्निरीक्षण याचिका में भी बैंक को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया हैं। ना ही बैंक की ओर से जारी किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण स्वीकार कर नोट हटाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा याचिका प्रार्थीगण अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूल रिकार्ड शाखा को लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.12.01 17:50:38 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner